

भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा : सरकारी एवं निजी प्रयास

Ms. Sanju Kumari

Assistant Professor, History

सार:-

विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत जनसंख्या वाला देश भारत गांवों का देश है। इसकी जनसंख्या 1.30 करोड़ के लगभग है देश की जनसंख्या का 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। उसमें से 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर हैं। कृषि उत्पादन से ही मानव, पशु-पक्षी सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देश की जी.डी.पी. में भी 14.6 प्रतिशत कृषि का ही योगदान है। सरकार के बजट पर भी कृषि उपज का सीधा प्रभाव पड़ता है। फसल ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, बाढ़ इत्यादि से प्रभावित होती है और उसका सीधा असर जनता को महँगाई के रूप में झेलना पड़ता है। वह सरकार को भी फसल का नुकसान होने पर बहुत बड़ी राशि किसानों को मुआवजे के रूप में चुकानी पड़ती है। यदि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है या विकास नहीं कर पाती तो इसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अतः ग्रामीण विकास के लिए गांवों का समग्र विकास करना होगा। ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात्र महात्मा गांधी के इस कथन से हुआ "भारत की आत्मा गांवों में बसती है जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार नहीं हो सकता इसी अवधारणा को स्वीकार करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान जय किसान" का नारा देकर कृषि के महत्व को प्रतिष्ठित किया ग्रामीण विकास में आर्थिक दशा में सुधार के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तनों को शामिल करना होगा ग्रामीण अवधारणा में ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योग एवं हस्त कौशल तथा सामाजिक व आर्थिक ढाँचे के निर्माण हेतु उपलब्ध भौतिक व मानवीय साधनों के संपूर्ण उपयोग द्वारा गांवों की जनता की आय व उनके जीवन स्तर में सुधार करके ही उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है तभी देश समृद्धशाली राष्ट्र बनेगा।

कुंजीशब्द: निर्धनता, पंचवर्षीय योजनाएँ, पलायन, समृद्धशाली, कुचक्र व ऋणग्रस्ता ।

प्रस्तावना:-

भारत देश गांवों का देश है यहां 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है जिसमें से 60 प्रतिशत लोग कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि से मानव, पशु-पक्षी सभी की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। ग्राम विकास की बाधाएँ पारम्परिक विधि से खेती करना, सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त न होना, कृषि की नई तकनीक का ज्ञान न होना, यातायात के साधनों की कमी, पलायन, बिजली की सुविधाओं का अभाव, किसान निर्धनता व ऋणग्रस्तता से ग्रसित है। ग्रामिणों की आय बढ़ाने के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है तभी सरकार द्वारा चलाई जा रही (पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम) योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी होगी तभी उनका लाभ उठाकर ही उनकी आय में वृद्धि होगी तभी निर्धनता का कुचक्र खत्म होगा। किसान खुशहाल होगा तो देश आर्थिक रूप से समृद्धशाली व सक्षम बनेगा।

ग्रामीण विकास की बाधाएँ:-

- **ग्रामीण ऋणग्रस्तता:** भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋणग्रस्तता एक विकट समस्या है। किसानों द्वारा जो ऋण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिये जाते हैं लेकिन आय कम होने के कारण व अपनी उधारी चुका नहीं पाते हैं। जिससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि भारत में जरूरतमंद किसानों भूमिहीनों एवं कृषक मजदूरों की हालत कितनी दुर्बल है। क्योंकि ग्रामीण लोग आय कम होने के कारण जो ऋण लेते हैं उसे अनुत्पाद कार्यों एवं उपभोग पर विवादों में सामाजिक प्रथाओं/रीति रिवाजों पर व्यय कर देते हैं। जिसके कारण व सूदखारों के शोषण का शिकार होकर अपनी बंधक जमीन को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे समाज में भूस्वामी व भूमिहीन के रूप में समाज का विभाजन हो जाता है। सन् 2002 में भारत में कुल कृषक परिवारों का 49 प्रतिशत ऋणग्रस्त था आत्म हत्या करने वालों में 15 प्रतिशत संख्या सीमांत किसानों व कृषक मजदूरों की थी। भारत के किसान के लिए यह कहावत ही "दादा कर्जा लेता है और

नाती उसका चुकाता रहता है” अर्थात अशिक्षा, अज्ञानता तथा अन्धविश्वास के कारण वह ऋण के मकड़जाल से निकल नहीं पाता है।

- **किसानों की गरीबी:**—देश की लगभग एक तिहाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। उनकी आजीविका का मुख्य साधन भी कृषि ही है। गाँवों के विकास में सबसे बड़ी बाधा गरीबी है। गरीबी मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाती है जिससे उसके व्यक्तित्व का भी सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि ग्रामीण लोग न्यूनतम जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, व स्वास्थ्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। भारत में गरीब लोगों की आय औसत एक डॉलर से भी कम है। योजना आयोग ने उपभाग व्यय के अनुसार गरीबी की व्याख्या की उन व्यक्तियों को निर्धन माना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करते हैं। भारत में उड़ीसा, बिहार एवं उत्तर पूर्वी, राज्यों में अभी भी निर्धनता अनुपात बहुत ऊँचा है 2005 में लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीब थी राजस्थान का भी लगभग यही हाल था। 2015 के अनुसार यह प्रतिशत 33 प्रतिशत के करीब आ गया है। क्योंकि देश में आय असमानता बहुत ज्यादा जैसे अभी कोरोना काल में 100 उद्योगपतियों की आय इतनी बढी की प्रत्येक भारतीय को 94000 रुपये दिये जा सकते हैं। इससे ज्यादा आय विषमता क्या होगी भारत में अधिकांश गरीबी, दलित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में पायी जाती है क्योंकि सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ये विकास की धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसके लिए सामाजिक व राजनैतिक वातावरण भी उत्तरदायी है। जिसके कारण ग्रामीण लोग निर्धनता के कुचक्र से निकल नहीं पाते हैं।
- **पारम्परिक विधि से खेती करना:**—अभी भी अधिकांश गाँवों में पारम्परिक तरीके से पशुओं की सहायता से खेती होती है किसान पारम्परिक फसल लेने की मानसिकता के कारण वो ही फसलें खेत में बोता है जिससे खेतों की उर्वरकता कम हो जाती है। ज्यादा आय देने वाली या नकदी देने वाली फसलों का उत्पादन नहीं करता है। जिससे उसकी आय में वृद्धि नहीं हो पा रहा है। कुछ क्षेत्रों में आधुनिक उपकरणों ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर व मशीनों से बीजीरोपण हो रहा है। लेकिन उपकरण मँहगे होने के कारण प्रत्येक किसान इनको खरीद नहीं पा रहे हैं। वह खाद, बीज मँहगे होने के कारण किसान खेती में ऊगाई फसल को ही अगली फसल के लिए बीज के रूप में काम लेता है किसान अब आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं। लेकिन गरीब किसान की पहुँच से वे अभी दूर हैं।
- **सिंचाई की सुविधाओं पर्याप्त न होना:**—ग्रामीण क्षेत्र सिंचाई के लिए नदी, नहरें, बांध नहीं हैं पारम्परिक स्रोत कुंआ तालाब व बावड़ी समाप्त होते जा रहे हैं। जिसके कारण किसानों को वर्षों के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जिसका सीधा प्रभाव किसान की आय पर पड़ता है। अधिकांश प्रान्तों में पीने के लिए पानी नहीं है। कहीं पानी है भी तो वह मनुष्य और खेतों दोनों के लिए नुकसान दायक है।
- **पंचवर्षीय योजनाओं की जानकारी न होना:**—ग्रामीण लोगों को कर्मचारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी नहीं दिये जाने के कारण ग्रामीण लोग इनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। गांव में गिरदावर, पटवारी, ग्रामसेवक, स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे समय गांव में न रहने के कारण ग्रामीण लोग शहरों में कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कोई सफलता न मिलने के कारण वह गरीब बने हुए हैं। वे अपना मन मसोक कर रह जाते हैं।
- **कृषि की नई तकनीकी का ज्ञान न होना:**—भारत का किसान अशिक्षित होने व दूर प्रान्तों में रहने के कारण नई तकनीकी के प्रयोग के अभाव में पिछड़ रहा है। जबकि देश में कृषि पर काफी ध्यान दिया जा रहा है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में नये कृषि यन्त्रों व कम पानी में सिंचाई की फव्वारा पद्धती, बूंद-बूंद पद्धती अपना कर उनकी आय में काफी वृद्धि हो रही है। लेकिन सभी किसानों की आय में वृद्धि हो तभी खुशहाली आएगी।
- **यातायात के साधनों की कमी:**—यद्यपि काफी संख्या में गाँवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों से जुड़ गये हैं लेकिन नदी, नालों व पुल न होने के कारण यातायात साधनों की कमी की वजह किसान अपनी फसलों को मंडियों तक नहीं ला पाते हैं मजबूरी में व्यापारियों को बेच देते हैं जिससे उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है कई बार तो फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है।
- **पलायन:** ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी व छिपी बेरोजगारी होने के कारण लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं जिसे शहरी क्षेत्रों का घनत्व तेजी से बढ़ रहा है ठेकेदारों द्वारा उनके रहने व खाने की अस्थायी व्यवस्थाएँ कर दी जाती हैं। कोरोना काल में देखने आया कि बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग गांव से रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं गाँव में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की उचित सुविधाएँ नहीं हैं।

शिक्षा से ही ग्रामीण विकास की बाधाएँ दूर होंगी:—

अधिकांश ग्रामवासी अशिक्षित होने के कारण आज भी उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी नहीं है जिसके कारण वह पुराने तरीके व उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा के लिए हो रहे विकास इन

सबकी जानकारी न होने कारण वह इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अतः गाँवों की जनसंख्या को शिक्षित करनेके लिए शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था, नवीन तकनीकी द्वारा विद्यालय की स्थापना होने पर ग्रामीणक्षेत्र व शहरी क्षेत्र के मध्य अन्तर कम होगा लोगों को जानकारी होगी गिरदावर, पटवारी, ग्रामसेवक से भी ग्रामीणसवाल जबाव कर सकेंगे विशेष गाँवों में बालिका शिक्षा पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा पर ध्यान देना होगा क्योंकि बालिका शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित होगा। शिक्षा ही वह ज्वाला है जो किसानों को शोषण से बचा सकती है। किसान सरकार द्वारा चलई जा रही योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकता है। स्त्रीशिक्षा के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को भी शिक्षित करना होगा। ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा योजनाकाल से ही प्रयास किये जा रहे हैं। सामुदायिकविकास, सहकारी कृषि, स्थानीय सहभागिता, न्यूनतम आवश्यकता की अवधारणा, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक ढाँचे को सुदृढ़ करने पर जोर निर्धनता उन्मूलन, रोजगार के नये अवसरों पर जोर भूमि सुधार, ग्रामीण स्तर पर लोगों की सहभागिता स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएँ शुरू करना, तेजी से अधिकसमग्र एवं सतत् विकास, निर्धन एवं सीमान्त विशेषतः स्त्रियों का सशक्तिकरण एवं ग्रामीण आर्थिक संरचना कानिर्माण है। जिससे क्षेत्रीय सामाजिक व आर्थिक विषमताएँ कम हो।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगारगारन्टी कार्यक्रम अच्छी सड़कों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण विकास के लिए तरुण स्कीम के अन्तर्गत युवाओं को स्वयं पोशी बना रोजगार देने के लिए माहात्मा गाँधी रूरल एम्पलाइमेंट गारन्टी एक्ट 2005 (मनरेगा) के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों को रोजगार, सामाजिक पेन्शन योजना इत्यादि प्रयास सरकार द्वारा किये जा रहे हैं। जिससे गाँवों में सामाजिक बदलाव व आर्थिक सुधार हो। गाँवों में लोगों की आय बढ़े और पलायनन कर इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है।

सुझावः—

सरकार द्वारा काफी प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन यह तब तक सफल नहीं होंगे तब तक यह पकितमें खण्डे अन्तिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगे मानरेगा में होने वाले कार्यों में नहरो का निर्माण बाढ़ से बचाने के लिए जो नदिया सूखी है उनसे जोड़ना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ सिंचाई के लिए मिलता रहेगा जिससे अच्छी फसल होगी। कुओं व हैण्डपम्पों में भी पानी की आवश्यकता बढ़ेगी अतः ग्रामीण लोगों शिक्षित हो रहे सरकारी योजनाओं लाभ उठा रहे हैं लेकिन सरकार को इसके लिए जमीन स्तर पर लाना होगा जिसे जिनके लिए योजनाएँ बनाई उन्हे उसका पूरा फायदा मिले किसानों की आय बढ़ेगी तो किसान ऋण के कुचक्र में नहीं फँसेगा और इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की भी विशेष भूमिका है। देश का किसान खुशहाल होगा तभी देश आर्थिक रूप से समृद्धशाली व सक्षम बनेगा। गाँवों में विलेज इन्टरनेट पार्क बनाये जाए जिससे युवाओं का सारी जानकारी प्राप्त हो सके साथ में वो गाँवों से शहरों की तरफ नहीं जाये ग्रामीण लोगों का विकास और सुविधाओंमें विश्वास हो उसमें भविष्य की सोच भी हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः—

- 1^प भारत में आर्थिक पर्यावरण डां वी.पी.गुप्ता, डॉ.एच.आर.स्वामी. आर.बी.डी. प्रकाशन जयपुर 2011—12 पृष्ठसंख्या 29.1 से 29.9, 30.1 से 30.6 31.1 से 31.10
- 2^प भारत में आर्थिक पर्यावरण— प्रो.डी.आर.जट, डॉ.वी.के. वशिष्ठ, भिण्डा, दीपा जैन अजमेर बुक कम्पनी जयपुर 2009—10 पृष्ठ संख्या 26.1 से 26.11, 27.1 से 27.10, 28.1 से 28.2 तक
- 3^प ग्रामीण विकास योजनाएँ (एक मार्ग दर्शिका हरियाणा ग्रामी विकास संस्थान नीला खेड़ी पृष्ठ न. 13 से 15
- 4^प सहकारी चिन्तन एवं ग्रामीण विकास— डा.एम.डी. अग्रवाल डॉ. बी.पी.गुप्ता, डॉ.बी.एल माथुर, आर.बी.डी प्रकाशन जयपुर 2011—2012 पृष्ठ संख्या 27.1 से 27.6
- 5^प राजस्थान पत्रिका राजस्थान माह जनवरी फरवरी 2021
- 6^प दैनिक भास्कर राजस्थान माह जनवरी, फरवरी 2021
- 7^प भारत में आर्थिक पर्यावरण— डॉ.वी.पी.गुप्ता, डॉ.एच.आर.स्वामी आर.बी.डी. प्रकाशन जयपुर 2019 पृष्ठसंख्या 15.1 से 15.7
- 8^प भारतीय अर्थव्यवस्था एस.के मिश्र, वी.के.पुरी हिमालया पब्लिशिंग हाऊस लखनऊ 2010 पृष्ठ संख्या 208, 231 से 232, 363, 367
- 9^प भारतीय अर्थव्यवस्था— डॉ.एल.एन. कोली, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा 2016 पृष्ठ न. 347 से 361
- 10^प कृषि अर्थशास्त्र— डॉ.आर.के.गोविल, डॉ.एस दयाल लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 2013 पृष्ठ न. 9, 183 से 184
- 11^प ग्रामीण विकास एवं सहकारिता— डॉ.एच.आर.स्वामी, डॉ.बी.पी.गुप्ता 2016—17 आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाऊस जयपुर पृष्ठ संख्या 1.1 से 1.4, 3.3 से 3.4